

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II--खण्ड 3---उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 391 नई दिल्ली, सोमवार, जनवरी १, २०१२/पौष ११, १९३३

No. 39]

NEW DELHI, MONDAY, JANUARY 9, 2012/PAUSA 19, 1933

शहरी विकास मंत्रालय

(दिल्ली प्रभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 9 जनवरी, 2012

का.आ. 46(अ). यतः यहां नीचे उल्लिखित क्षेत्र के संबंध में दिल्ली के मास्टर प्लान में केन्द्र सरकार का जिन कुछ संशोधनों का प्रस्ताव था, उन्हें दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 (1957 का 61) के खण्ड-४४ के प्रावधानों के अनुसार, दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा दिनाक ४ अप्रैल,2011 की का.आ.सं. 687(ई) की सार्वजनिक सूचना द्वारा भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया गया था । जिसमें उक्त नोटिस की तारीख से तीस दिनों के अंदर उक्त अधिनियम की धारा 11-ए के उप धारा (3) द्वारा यथा अपेक्षित आपत्तिया/सुझाव आमंत्रित किए गए थे।

- यतः प्रस्तावित संशोधन के संबंध में प्राप्त आपत्तियों/सुझावों पर दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा विचार किया गया है ; और
- यतः केन्द्र सरकार ने मामले के सभी पहलुओं पर ध्यानपूर्वक विचार करने के बाद दिल्ली के मास्टर प्लान- 2021 में संशोधन करने का निर्णय लिया है ।
- अत , अब उक्त अधिनियम की धारा ।।-ए के उप-धारा(2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार भारत के राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से दिल्ली के उक्त मास्टर प्लान-2021 में एतदद्वारा निम्नलिखित संशोधन करती है:-

संशोधन:

क्र0सं0	विषय	भूमि उपयोग का	सीमाएं
1.		परिवर्तन 'मनोरंजनात्मक' से 'सरकारी' (सरकारी कार्यालय) इस शर्त पर कि विदेश मिशन के लिए दिल्ली	उत्तर -चैक एवं स्लोवाक दूतावास पूर्व- चैक दूतावास के साथ अकबर भवन से सफदरजंग रेलवे स्टेशन फुट ओवर ब्रिज
	प्रस्तावित परिवर्तन	के अनुसार विकास नियंत्रण इस परिसर पर लागू होगा ।	पश्चिम - शान्ति पथ

[फा. सं. के-13011/4/2010-डी डी I बी] सुनील कुमार, अवर सचिव

MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT (Delhi Division) NOTIFICATION

New Delhi, the 9th January, 2012

- S.O. 46(E).—Whereas certain modifications which the Central Government proposed to make in the Master Plan for Delhi regarding the area mentioned hereunder were published in the Gazette of India, Extraordinary, as Public Notice vide No. S.O. 687(E), dated 4th April, 2011 by the Delhi Development Authority in accordance with the provisions of Section 44 of the Delhi Development Act, 1957 (61 of 1957) inviting objections/suggestions as required by sub-section (3) of Section 11-A of the said Act, within thirty days from the date of the said notice.
- 2. Whereas objections/suggestions received with regard to the proposed modifications have been considered by the Delhi Development Authority; and
- 3. Whereas the Central Government have, after carefully considering all aspects of the matter, decided to modify the Master Plan for Delhi, 2021.
- 4. Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 11-A of the said Act, the Central Government hereby makes the following modification in the said Master Plan for Delhi- 2021 with effect from the date of publication of this Notification in the Gazette of India:

Modification

Sl No	Subject	Change of land use	Boundaries
u 1 fo S S	roposed change of land se of the area measuring 8557.82 sq.m of the Centre or Railway Information systems (CRIS) office at lafdurjung, New Delhi in Planning Zone 'D'.	From 'Recreational' to 'Government (Government Office)', subject to the condition that development control as per MPD-2021 for foreign mission shall be applicable for this premises.	North: Czech and Slovak Embassies. East: Road leading to the footover bridge of the Safdurjung Railway Station from Akbar Bhavan along the Czech Embassy. South: Railway Track. West: Shanti Path.

[F. No. K-13011/4/2010-DDIB] SUNIL KUMAR, Under Secy.